JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रतापगढ़ जिला कृषि में नवाचार : बदलता सांस्कृतिक परिदृश्य

डॉ. देवेन्दर कौर[1] एवं विकास कुमार डूंगरवाल[2]
1. विभागाध्यक्ष (सेवानिवृत्त), भूगोल विभाग तथा 2. शोधार्थी, भूगोल विभाग
श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर

परिचय

सघन कृषि एवं अधिक लाभ के लिए खेती में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाषी रसायनों, खरपतवारनाषियों, वृद्धि कारकों (हार्मोंस) का उपयोग करने से मृदा एवं मानव स्वास्थ्य में गिरावट आ गई है। पर्यावरण का निरन्तर ह्रास हो रहा है। रासायनिक खेती एवं मषिनीकरण से खेती की लागत बढ़ रही है, कृषक को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए जैविक कृषि क्रियाएं अपनाना ही एक मात्र विकल्प है। जैविक खेती उत्पादन का वह तरीका जिसमें अवषेषों का अधिकतम उपयोग किया जाये और रासायनिक कृषि आदानों के बढावें को रोका जा सके ताकि मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता टिकाऊपन की दृष्टि से बनी रहे।

भारत में जैविक खेती की परम्परा तथा महत्व प्रारम्भिक काल से ही रहा है। पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाती है। दुनिया के लिए भेले ही यह तकनीक नवीन है, लेकिन देष में परम्परागत रूप से जैविक खाद पर आधारित खेती होती आई है।

इन्टरनेषनल फेडरेषन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेन्ट (IFOAM) (2013) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पूरे विष्व में लगभग दो लाख किसान जो जैविक खेती के तरीकों का अभ्यास करते हैं उन फार्मों का लगभग 80 प्रतिषत भाग भारत में है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भारत विष्व में जैविक क्रान्ति या जैविक खेती का केन्द्र बिन्दु रहा है ओर भारत में जैविक कृषि की बहुतायत होना कोई आष्चर्य का विषय नहीं है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण जैविक (पारम्परिक) कृषि उत्पादन की आपूर्ति न होने के कारण हरित क्रान्ति के पश्चात् उन्नत बीजों, रसायनिक उर्वरकों, सिंचाई आदि की सुविधाओं के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि तीव्र गति से हुई अतः कृषकों द्वारा बिना उसके प्रतिफल को जाने ताबड़तोड़ इसका उपयोग किया गया। लेकिन उसके दुष्प्रभावों को जानकर हम सम्पोषणीयता उर्वरता की गुणवत्ता की निरन्तरता की ओर ध्यान दे रहे हैं और पुनः जैविक कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

वर्तमान में पूरे विष्व में जैविक खाद्य पदार्थों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस कारण इन उत्पादों का बाजार मूल्य भी बढ़ा है तथा देष के लोगों के स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए भारत सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना को शुरू किया है।

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में रासायनिक खादों का प्रयोग व इस पर निर्भरता बढ़ने के बाद से जैविक खाद का उपयोग नगण्य हो गया है। वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों व कीटनाषकों के अत्यधिक प्रयोग को देखते हुए यह आवष्यक हो गया है कि भूमि को प्रदूषित, क्षारीयता, अनुर्वर व विषैली होने से बचाने के लिए व मनुष्यों पर इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए जैविक कृषि अति आवष्यक हो गई है।

आवष्यकता एवं महत्व

(प) रासायनिक उर्वरकों व कीटनाषकों के कारण भूमि प्रदूषित अनुर्वर हो रही है।

(पप) रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण भूमि बंजर हो रही है।

(पपप) रासायनिक उर्वरकों व कीटनाषकों के प्रयोग के पश्चात् खेत से निकलने वाला जल जब नदी में मिलता है तो यह जल नदी के पानी को भी प्रदूषित कर रहा है।

(अप) रासायनिक कृषि लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए बहुत खर्चीली होती है जिससे फसल की उत्पादन लागत बढ जाती है क्योंकि रासायनिक खाद व कीटनाषक तथा सिंचाई के साधन बहुत महंगे आते हैं जो किसानों पर आर्थिक बोझ का कारण बनता जा रहा है।

शोध अध्ययन में जैविक कृषि के साथ की काश्तकारों/कृषकों के सामाजिक– आर्थिक विकास का विवेचन किया गया।

साहित्य समीक्षा

तंर ज्ञनउंतए च्ण्ए च्नसससं त्वए क्ण् ंदक श्रंलंदंदक ज्ञनउंतए च्ण ;2013द्ध ने अपने शोध कार्य ।दंसलेपे वि"वबपव.म्बवदवउपब "जंजने व"बीमकनसम ज्तपइमे पद ।दकीतं च्तंकमी में आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगर जिले में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के अध्ययन हेतु यादृच्छिक एवं स्तरीय निदर्शन द्वारा अध्ययन किया गया। उत्तरदाताओं से प्रश्नावली की मदद से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कर विश्लेषण में पाया गया कि 94 प्रतिशत से अधिक परिवार पुरुष प्रधान हैं, अधिकांश परिवारों के 83 प्रतिशत मुखिया कृषि श्रमिक हैं क्योंकि कृषि भी बहुसंख्यक उत्तरदाताओं का आय का प्रमुख स्रोत था। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश परिवारों के लिए आय के स्रोत में, खेती प्राथमिक व्यवसाय था जो कि 80 प्रतिशत से अधिक है वहीं आय सीमा 6000 रुपये से 10000 रुपये प्रति वर्ष होने के कारण कई कृषि मजदूरी जैसा कार्य भी करने लगे हैं। अनुसूचित जनजातियों को अपनी ऋण आवश्यकता के लिए विश्वासघाती निजी साहूकारों के पास जाने के लिए मजबूर होते है जो कि विशेष रूप से आदिवासियों और अशिक्षित लोगों के लिए अपने पैसे का शोषण करने के लिए उच्च ब्याज दर वसूलते हैं। अतः सरकार को विकास के लिए व्यक्तिगत स्तर और ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास की दिशा में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण द्वारा बेहतर बैंकिंग सेवा की पेशकश करके अनुसूचित जनजाति के बीच वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिये।

पालेकर, सुभाष (2016) ने अपने शोध अध्ययन में स्पष्ट किया कि प्राकृतिक खेती का अर्थ जीरो बजट की खेती है अर्थात् लागत खर्च नगण्य, क्योंकि इस खेती पद्धति में कुछ भी खरीदना नहीं होता है, सब कुछ

प्रकृति प्रदत्त है। उनजी दृष्टि में भरपूर सूर्य शक्ति, जीवांशयुक्त मिट्टी और सन्तुलित मात्रा में पानी के उपयोग से भरपूज उपज ली जा सकती है।

देशपाण्डे, मोहन (2016) द्वारा ने अपने अध्ययन कार्य आजरा, कोल्हापुर के भभूत और अमृतपानी पद्धति की जैविक खेती के संशोधक स्वयं लेखक एक किसान है ने अमृतपानी के चमत्कारी परिणामों से महाराष्ट्र के हजारों कृषकों को न केवल प्रभावित किया बल्कि अब वे किसान वर्षों से इस नुस्खे का उपयोग कर लाभान्वित हो रहे हैं। अमृत पानी अर्थात् गाय का गोबर, गाय का घी, शहद (अथवा गुड़) का पानी में घोल बनाकर खेत में बिखेरने से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव वृद्धिगत होकर सक्रिय हो जाते हैं तथा फसलों को भरपूत पोषण देते हैं। इसी प्रकार वर्मी कम्पोस्ट अर्थात् केचुआ खाद का प्रभाव की सकारात्मक रूप से देखने में आया है।

निमजे, जितेन्द्र (2017) द्वारा बेगा जनजाति पर किये गये शोध अध्ययन ''मध्यप्रदेश में बेगा जनजाति में विकास योजनाओं का प्रभाप : एक मूल्यांकन'' में बताया कि बेगा समुदाय के लगभग सभी परिवार झोंपड़ियों में ही निवास करते हैं, परन्तु कुछ आवासों में अब परिवर्तनशीलता भी देखी गई। ये परिवार मुख्यतः एकांकी जीवन निर्वाह करते हैं, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कायक्रमों में ये संयुक्त है। उचित स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में ये लोग अपना इलाज आज भी जड़ी–बुटियों से करते हैं। बेगा परिवार पर विकास कार्यक्रमों का प्रभाव आंशिक रूप से परम्परागत रीति– रिवाजों, वैवाहिक कार्यक्रमों, पहनावा तथा नवाचार के रूप में दुल्हा–दुल्हन के पहनावे तथा सामाजिक–धार्मिक उत्सवों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग होने लगा है।

अध्ययन क्षेत्र (Study Area)

प्रतापगढ़ जिला राजस्थान राज्य के दक्षिण–पूर्व में स्थित है जिले की भौगोलिक स्थिति 23°40' उत्तर से 24°50' उत्तरी अक्षांश एवं 74°19' पूर्व से 79°94' पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित इस जिले के पूर्व तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर में जिला चित्तौड़गढ़, पश्चिम में उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों की सीमाओं से आबद्ध है। यह जिला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं और मालवा पठार पर स्थित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 4117.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 8,67,848 व्यक्ति, 91.73 प्रतिशत ग्रामीण, 8.27 प्रतिशत नगरीय तथा 68.52 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवासरत है।

जिले का पश्चिमी व दक्षिण पश्चिमी भाग पीपलखूँट तथा धरियावद घने जंगल पहाड़ीनुमा उबड़–खाबड़ क्षेत्र है। जिले का उत्तरी भाग पहाड़ी व मैदानी मिश्रित भू–भाग है। दक्षिण पूर्वी भाग समतल व पहाड़ी व पूर्वी भाग समतल मैदानी भू–भाग में फैला हुआ है। यह जिला समुद्र तल से औसतन 1640 फीट (491 मीटर) की ऊँचाई पर बसा है। ऊँचाई के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य में माउण्ट आबू के बाद सर्वाधिक ऊँचाई वाला क्षेत्र है। पठारी भाग मुख्यतः जिले के उत्तर में छोटीसादड़ी, उत्तर–पर्वू में प्रतापगढ़ तथा दक्षिण–पूर्व में अरनोद तहसील तथा उत्तर– पश्चित में धरियावद तहसील के कुछ भागों में विस्तृत है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ दक्षिण–पश्चिम की और प्रवाहित होकर माही नदी में मिल जाती है। जिले में जाखम, शिवना, ऐरा, रेतम, माही तथा करमोई नामक नदियों का विस्तार मिलता है।

शोध उद्देश्य (Research Objective)

साहित्य विवेचना, अन्य अध्ययनों तथा शोध के विशेष परिदृश्य के संदर्भ में प्रस्तुत शोध कार्य के निम्न उद्देश्य निश्चित किये गये हैं –

(प) अध्ययन क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में आये परिवर्ततनों की विवेचना करना।

(पप) अध्ययन क्षेत्र में बदलता सांस्कृतिक प्रतिरूप की विवेचना करना।

परिकल्पनाएँ (Hypothesis)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है–

(प) कृषि में नवाचार से प्रतापगढ़ जिले में सामाजिक–आर्थिक विकास में सुधार हुआ है।

अनुसंधान विधि (Research Methodology)

वर्तमान समय में भौगोलिक अनुसंधान के अन्तर्गत प्रमुख उपागमों में पारिस्थिकी उपागम एवं सांख्यिकीय उपागम द्वारा आँकड़ों का संकलन, मापन तथा विष्लेषण, नवीन विधियों द्वारा किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति द्वारा कृषि में नवाचार

अनुसूचित जनजाति कृषकों द्वारा फसल उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत कृषि तकनीकों का विकास, कृषि में ढ़ाचागत विकास, युवाओं में उद्यमिता विकास तथा कृषि में लागत मूल्य कम करने तथा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से धरियावद तहसील के चयनित अनुसूचित जनजाति कृषकों द्वारा किये कृषि में नवाचार आदि पर चयनित प्रतिदर्श उत्तरदाताओं से जानकारी तथा सुझाव लिये गये

तालिका 1 : फसल उत्पादन

खरीफ	आवृति (:)	रबी	आवृति (:)	जायद	आवृति (:)
मक्का	132 (88.00)	गेहूं	129 (86.00)	मूंग	79 (52.67)
चावल	43 (28.67)	चना	107 (71.33)	मिर्च	58 (38.67)
सोयाबीन	60 (40.00)	सरसों	107 (71.33)	चरी	43 (28.67)
मूंगफली	23 (15.33)	अफीम	29 (19.33)	बजरी	23 (15.33)
मूंग/उड़द	42 (28.00)	अलसी	54 (36.00)	सब्जियाँ	53 (35.33)
ज्वार–बाजरा	28 (18.67)	मसूर	43 (28.67)		
तिल	16 (10.67)	अन्य	30 (20.00)		

ैवनतबम रू थ्पमसकैनतअमलए 2019

चयनित प्रतिदर्श उत्तरदाता खरीफ में सर्वाधिक उत्पादन मक्का 88.00 प्रतिशत, सोयाबीन 40.00 प्रतिशत, चावल 28.67 प्रतिशत, मूंग/उड़द 28.00 प्रतिशत, मूंगफली 15.33 प्रतिशत तथा तिल का 10.67 प्रतिशत उत्पादन लेते हैं। इसी प्रकार रबी में अधिकांशतः उत्तरदाता गेहूँ 86.00 प्रतिशत, चना व सरसों 71.33 प्रतिशत अलसी 36.00 प्रतिशत, मसूर 28.67 प्रतिशत तथा अन्य 20.00 प्रतिशत फसल उत्पादन करते हैं। जायद में 52.67 प्रतिशत उत्तरदाता मसूर का उत्पादन करते हैं।

चयनित उत्तरदाता वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन वर्ष 2000 के बाद अर्थात् जाखम नहर परियोजना के प्रारम्भ होने के बाद से लेने लगे हैं। परियोजना के प्रारम्भ होने से अब वर्ष पर्यन्त सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध हो जाती है। धरियावद तहसील में मीणा जनजाति उत्तरदाताओं से फसल उत्पादकता में वृद्धि

के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उनका कहना था कि जाखम नहर परियोजना से उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

चयनित उत्तरदाताओं में 53.67 प्रतिशत उत्तरदाता जैविक कृषि के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं ये अधिकांश उत्तरदाता साक्षर तथा निरक्षर समूह से है जबकि शिक्षित समूह के अधिकांश उत्तरदाता 47.33 प्रतिशत जैविक कृषि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी रखते हैं।

तालिका 2 : जैविक कृषि के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई

	आवृत्ति (प्रतिशत)
कृषि अधिकाारी / पंचायत समिति	18 (25.71)
दूरदर्शन / रेडियो	39 (55.71)
अन्य किसानों से	13 (18.57)
कुल	**70 (100.0)**

Source : Field Survey, 2019

चयनित मीणा उत्तरदाताओं में 55.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जैविक कृषि के बारे में समय–समय पर दूरदर्शन / रेडियों द्वारा जानकारी उपलब्ध होती है जबकि 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह जानकारी कृषि अधिकारी / पंचायत समिति द्वारा प्राप्त होती है शेष 18.57 प्रतिशत उत्तरदताओं को यह जानकारी अन्य कृषकों द्वारा प्राप्त होती है।

चयनित उत्तरदाताओं में 95.33 प्रतिशत कृषक आज भी रासायनिक खाद का ही प्रयोग करते हैं जबकि उनसे यह भी पूछा गया कि उक्त रासायनिक खाद कृषि भूमि हेतु भविष्य में नुकसान हो रहा है तो उनका कहना है कि वर्तमान में रासायनिक खाद उपयोग से फसल पैदावार अच्छी हो रही है तथा उक्त खाद आसानी से उपलब्ध हो रही है जबकि जैविक खाद बनाने में काफी समय लगता है तथा यह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। जैविक खाद में वर्ष–दर–वर्ष फसल उत्पादन उतना प्राप्त नहीं होता है जितना की रासायनिक खाद से होता है।

20 प्रतिशत उत्तरदाता खरीफ फसल– सोयाबीन, मक्का हेतु तथा 17.20 प्रतिशत उत्तरदाता रबी फसल में गेहूँ, चना, मसूर हेतु जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जबकि जायद फसलों हेतु जैविक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं।

मिट्टी परीक्षण कृषि भूमि में से मिट्टी के नमूने इकटठे करके उसकी गुणवत्ता की जाँच करवाई जाती है इससे ज्ञात होता है कि कौन से तत्वों की मिट्टी में कमी / अधिकता हो रही है। उसी अनुसार खाद, बीज, रसायत देने पर उत्तम फसल प्राप्त की जा सकती है।

जिले में विगत वर्षों में मिट्टी के नमूने कम ही लिये गये हैं जिसमें से 55 प्रतिशत नमूने खरीद फसल के दौरान तथा 44.60 प्रतिशत नमूने रबी फसल के दौरान लिये। अधिकांशतः उत्तरदाता मिट्टी परीक्षण के विषय में उदासीन देखे गये हैं जबकि मिट्टी परीक्षक एक आवश्यक प्रक्रिया मानी गई है।

चयनित उत्तरदाताओं में अधिकांश उत्तरदाताओं मिट्टी परीक्षण करवाते हैं जो कुल प्रतिशत का 84.86 प्रतिशत है। परीक्षण करवाने उत्तरदाताओं का यह भी कहना है कि परीक्षण सरकारी योजनाओं के लाभ लेने हेतु करवाना अनिवार्य है इसलिय करवाते हैं जबकि 15.34 प्रतिशत उत्तरदाता किसी प्रकार का मिट्टी परीक्षण नहीं करवाते हैं उनका मत है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है यह सब भगवान की देन है।

सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव

चयनित निर्दशन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण तथा साक्षात्कार जानकारी तथा क्षेत्रीय अवलोकन के आधार पर मीणा जनजाति पर जाखम नहर परियोजना से उनके सामाजिक–आर्थिक स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखें गये जो निम्न है –

तालिका 3. : सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव

कारक	समहि ति
पारम्परिक परम्परा एवं रूढ़ीवादिता में बदलाव (प्रथाओं के सम्बन्ध)	✓
विवाह स्वरूप में बदलाव	✓
नगरीय प्रभाव से बदलते मूल्य	✓
मेहमान नवाजी में बदलाव	✓
सांस्कृतिक परम्पराओं में बदलाव	✓
शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव	✓
रहन–सहन, वेशभूषा में बदलाव	✓
पश्चिमी करण का प्रभाव	✓

Source : Field Survey, 2019

(प) **पारम्परिक परम्परा एवं रूढ़िवादिता में परिवर्तन** : मीणा जनजाति में 'दापा', नातरा, डायन प्रथा, मौताणा, डाम, तलाक, अंधविश्वास जैसी कई पारम्परिक परम्परा एवं रूढिवादिता में कमी हुई है। 'दापा' प्रथा आज भी मीणा जनजाति में चलन में है, परन्तु दापे की राशि में कमी तथा बहुविवाह, तलाक, नातरा जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगा है। इन प्रथाओं को अब मीणा समुदाय द्वारा 'नापसंद' किया जाने लगा है।

(पप) **विवाह स्वरूप में बदलाव** : विवाहों में परम्परागत रूप से बारात आने पर बन्दूकों के धमाकों का प्रचलन घटता जा रहा है। कहीं किसी व्यक्ति का दूसरा विवाह होता भी है तो पहली पत्नी से संतान नहीं होने की दशा में सादे समारोह में होता है। यह आयोजन अन्य सामाजिक समूहों के समरूप है। विवाह के 'नूत' के बाद बारातों के पैदल जाने के स्थान पर वाहनों का व्यापक प्रयोग बढ़ा है। कहीं–कहीं नगरीय प्रभाव में जेवर, वाटिकाओं, बैण्ड, महिला संगीत आदि का दिखावा बढ़ गया। विवाहों में परम्परागत भोजन दाल–बाटी या दाल–चावल अब पुराना हो गया है। अब शहरी प्रभाव बढ़ गया है।

(iii) **नगरीय प्रभाव से बदलते मूल्य :** शिक्षा स्तर में वृद्धि के कारण नगरीय व्यवहारों के प्रभाव में आने से 'दहेज' का प्रचलन धीरे–धीरे पनप रहा है। शिक्षा, संचार साधनों के विस्तार तथा विभाजनों के जाल पनपने से बाल विवाहों के होने की संभावना भी कम हुई है। इन समूहों में विवाह की औसत आयु भी बढ़ गयी है।

(iv) **मेहमान नवाजी में बदलाव** : मेहमान **(पामणा)** जाने की परम्परा में आकर्षण घटा है, इसकी अवधि कम हो गई है, एक ही दिन में मेहमान का जाकर लौटना अब तय हो गया है। मीणा समुदाय में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। कुछ ग्रामों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया है। 'दीवाली आणा' तथा 'अड़वांदा' जैसे पारम्परिक अवसरों पर मेहमानों की संख्या घटती जा रही है एवं अवधि–दिनों दिन (एक ही दिन में जाकर लौट आना) होती जा रही है।

(v) **सांस्कृतिक परम्पराओं में बदलाव** : मीणा जनजाति में 'गैर' होली का नृत्य है। इसमें सादगी आती जा रही है। अब यह पैरों में कम होते 'घुंघरू' और बंद होती 'नंगी तलवारों' के रूप में देखी जा सकती है। 'गैर' का ही एक रूप 'राड़' है जिसमें आमने–सामने पत्थर मारने की प्रथा रही है। इसमें कइयों के घायल होने के कारण मानवीय कारणों से साधारण 'गैर' में बदलती जा रही है।

(vi½ **शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव** : शिक्षा ही जीवन में परिवर्तन ला सकती है। जनजाति बाहुल्य धरियावद तहसील के मीणा जनजाति में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। पहले यहाँ साक्षरता दर बहुत की थी, जीवन स्तर ऊपरी उठने, सरकारी व निजी विद्यालयों के खुलने से यहाँ शिक्षा का स्तर में दिन–प्रति–दिन प्रगति हो रही है। वर्तमान में तहसील स्तर पर सभी शिक्षण सुविधाएँ के साथ ही

महिला शिक्षा को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा के स्तर में सुधार से कई कृषक परिवार के बच्चें राजकीय नौकरी में जा रहे हैं।

(vii) **रहन–सहन, वेशभूषा में बदलवा** : मीणा जनजाति के युवा युवक व युवतियों पर रहन–सहन, परिधानों व खान–पान में भी परिवर्तन देखने को मिला है। शदियों में होने वाले भोज, कार्यक्रमों परिधानों में पहले धोती, कुर्ता पहनते थे अब वे पेंट, शर्ट, जींस, टी–शर्ट पहनने लगे हैं। युवतियाँ घाघरा, लुगड़ा, कांचली पहना करती थी अब उनके के स्थान पर विवाहित युवतियां साड़ी, पेटीकोट तथा अविवाहित युवतियाँ सलवार सूट एवं आधुनिक वस्त्र (जींस, टी–शर्ट, फ्रॉक) पहनती है।

(viii) **पश्चिमी करण का प्रभाव** : वर्तमान समय में पश्चिमीकरण का प्रभाव अत्यधिक मोबाइल उपयोग के रूप में देखने का मिल रहा है। गांव का हर व्यक्ति छोटा या बड़ा उसे मोबाइल का उपयोग कर रहा है।

(ix) **सरकारी प्रयासों के साथ–साथ जनभागीदारी** : प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि प्रशासन के स्तर पर लोगों की भागीदारी का स्तर सुधारने के लिये सबसे अधिक भूमिका जन शिक्षा के स्तर को सुधारने में रही है। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्तर पर सुधार के कार्यक्रम भी सरकार के कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामाजिक स्तर पर सरकार द्वारा इस कार्य को और प्रभावी ढंग से लेने के बारे में कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाना पाया गया।

सुझाव (Suggestions)

(i) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सिंचाई के विकास पर राज्य सरकारों द्वारा भारी राशि का व्यय किया गया एवं इसके परिणामस्वरूप कृषिगत उत्पादन नहीं बढ पाया है। अतः यदि हमें कृषि का समन्वित विकास करने के लिये सुरक्षित एवं सर्वोत्तम उपयोग पर बल देना होगा।

(ii) प्रदेश में कृषि अयोग्य एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाये तथा इस भूमि पर चरागाह व वन विस्तार किया जाना चाहिये।

(iii) आधारभूत शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना ओर शिक्षा के उन पहलुओं को उजागर करना जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायक हो तथा महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था।

(iv) आदिवासी समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप के विकास के लिए जन चेतना जागृत करना।

उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक में और सुधार की संभावनाऐं बढ़ेगी। साथ ही कृषि भूमि उपयोग के द्वारा हो रहे सभी परिवर्तनों को भविष्य में शोध की रूचि का विषय एवं आवश्यकता पर जोर देना होगा।

सन्दर्भ (References)

Census of India, 2011 : District Census Hand Book of Pratapgarh, Directorate of Census Operation, Jaipur.

Land Records, District Pratapgarh (Raj.)

Raj Kumar, P., Pulla Rao, D. and Jayanand Kumar, P. (2013). Analysis of Socio-Economic Status of Schedule Tribes in Andhra Pradesh, *International Journal of Development Research,* 3(11), 136-140.

Nimje, Jitendra (2017). Impact of Development Schemes in Bega Tribe in Madhya Pradesh: An Evaluation (with special reference to Balaghatan), Unpublished Ph.D. Thesis.